

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंकर प्रसाद,  
विशेष कार्य पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अधीक्षक,  
मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार।  
सभी सिविल सर्जन, बिहार।  
सभी निदेशक,  
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार।

पटना, दिनांक: 02/11/2017

विषय: ए0एन0एम0 एवं परिचारिका श्रेणी 'ए' के नियमित रिक्त पद पर संविदा पर नियुक्ति नहीं करने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक-997(4), दिनांक-22.08.2017 के द्वारा संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 एवं परिचारिका श्रेणी 'ए' कर्मियों के नये मानदेय का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्धारित मानदेय के आलोक में ए0एन0एम0 एवं परिचारिका श्रेणी 'ए' के पदों पर संविदा के आधार पर अगले आदेश तक नियुक्ति नहीं की जाए। यदि संशोधित मानदेय के आधार पर ए0एन0एम0 एवं परिचारिका श्रेणी 'ए' के पद पर अभी संविदा के आधार पर नयी नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, तो उसे तत्काल स्थगित किया जाय। उल्लेखनीय है कि ए0एन0एम0 के रिक्त 7000 (सात हजार) पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। परिचारिका श्रेणी 'ए' की नियुक्ति के लिए भी अधियाचना भेजी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रिक्त पद पर संविदागत नियुक्ति पूर्ववत् जारी रहेगी।

2 - स्वास्थ्य विभागीय आदेश सह पठित ज्ञापांक-997(4), दिनांक-22.08.2017 के क्रमांक-10 एवं 11 पर अंकित परिचारिका श्रेणी 'ए' एवं ए0एन0एम0 का निर्धारित किये गये मानदेय को निरस्त किया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगे।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

  
(शंकर प्रसाद) 2/11/17

विशेष कार्य पदाधिकारी  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना